राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:1120/एसएलसी/ 1120/168(CLU)/ **दिनांक:–**

आदेश

विषय:– नये पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने की अनुमति के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (NGT) द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.01.2019 की पालना में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक बी–13011/1/2019–20/ए.क्यू.एम./10802–10847 दिनांक 07.01.2020, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपरोक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत जारी गाईडलाईन्स् दिनांक 08.01.2021 एवं मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 के विनियम संख्या 10.2.2 (घ) की पालना के संबंध में एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक बी–13011/1/2019–20/ए.क्यू.एम. दिनांक 16.08.2021 एवं कार्यालय आदेश दिनांक 21.09.2021 के क्रम में।

नगर पालिका/परिषद्/निगम/न्यास/प्राधिकरणो हेतु गठित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की 165वीं बैठक दिनांक 17.08.2021 माननीय नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (NGT) द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.01.2019 की पालना में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक बी–13011/1/2019–20/ए.क्यू.एम./10802–10847 दिनांक 07.01.2020, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपरोक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत जारी गाईडलाईन्स् दिनांक 08.01.2021 एवं मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 के विनियम संख्या 10.2.2 (घ) की पालना के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जाकर आदेश दिनांक 21.09.2021 जारी किया गया हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक बी–13011/1/2019–20/ए. क्यू.एम. दिनांक 16.08.2021 की पालना में नगर पालिका/परिषद्/निगम/न्यास/प्राधिकरणो हेतु गठित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की 168वीं बैठक दिनांक 14.03.2022 में नीतिगत निर्णय लिया जाकर कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 21.09.2021 को समायोजित करते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये हैं :–

1. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (NGT) के निर्णय एवं तदनुसार मॉडल भवन विनियम, 2020 में किये गये संशोधन को दृष्टिगत तथा पेट्रोल पम्प की आवश्यकतानुसार उचित स्थल के चयन एवं अनुमोदन हेतु नये स्थापित होने वाले पेट्रोल पम्प के प्रस्तावित स्थल की 50 मीटर की परिधि में स्थित भूमि वर्तमान में रिक्त हो, स्थल किसी विद्यमान आवासीय योजना में आवासीय भूखण्ड के रूप में सृजित अथवा प्रस्तावित नहीं हो, 50 मीटर की परिधि में कोई शैक्षणिक संस्थान अथवा हॉस्पिटल (10 बेड्स से अधिक) विद्यमान नहीं हो तथा स्थल न्यूनतम 18/24 मीटर सड़क पर स्थित हो। यदि 50 मीटर की दूरी रखा जाना सम्भव नहीं हो तो क्षेत्र की आवश्यकता एवं व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुये किसी प्रकरण विशेष में PESO द्वारा निर्धारित अतिरिक्त मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित हो रही हो एवं प्रश्नगत भूमि के न्यूनतम 30 मीटर की परिधि में शैक्षणिक संस्थान अथवा हॉस्पिटल (10 बेड एवं अधिक) विद्यमान नहीं हो एवं प्रस्तावित भूमि किसी विद्यमान आवासीय योजना में आवासीय भूखण्ड के रूप में सृजित अथवा प्रस्तावित नहीं हो, तो माननीय नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (NGT) के निर्णय के परिपेक्ष्य में पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु भू–उपयोग परिवर्तन करने हेतु अनुमति दी जा सकेगी।
2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के *Office Memorandum* क्रमांक *B-13011/1/2019-20/AQM* दिनांक 16.08.2021 के द्वारा नये पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु जलाशय के संरक्षण हेतु न्यूनतम मानक निर्धारित किये गये है, जो कि निम्नानुसार हैं :–

"All the surface water bodies irrespective of utility shall be protected from any possible contamination. These include lakes, ponds, streams, rivers, wetlands, canals and creeks, as per revenue records. Retail Outlests shall not be located within a distance of 50 meters from the nearest point of water bodies. In case of streems and rivers, the distance shall be considered from firm

कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर–302004
EPBX No. 2560838, 2560963 Office e-mail : ctp-rj@nic.in
Fax No. 0141-2563702, 2560985 Website : http//udhrajasthan.gov.in

banks/edge of river. The siting criterion is to implemented for all new petrol pumps where construction by OMCs starts post the issuance of these guidelines."

अतः उपरोक्त निर्णय के क्रम में समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रकरणों में उक्त निर्णय की पालना सुनिश्चित करावें एवं एन.जी.टी. द्वारा जारी संदर्भित एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स् की पालना होने पर ही प्रकरणों को स्पष्ट अभिशंषा के साथ संलग्न नवीन चैकलिस्ट–'स' की पूर्ति करते हुए राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रेषित किये जाने हेतु पत्रावली भिजवाये।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

17/05/2022
(आर.के. विजयवर्गीय)
मुख्य नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय भू–उपयोग
परिवर्तन समिति, राज. जयपुर।

क्रमांकः1120/एसएलसी/ 1120/168(CLU)/4590-4624 **दिनांकः** 19 MAY 2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रति संलग्न कर लेख है कि प्रकरण के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए सभी स्थानीय निकायो हेतु आदेश जारी करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान, समस्त।
8. मुख्य नगर नियोजक, एनसीआर, राजस्थान, जयपुर।
9. संबंधित जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ/उप नगर नियोजक समस्त, राजस्थान, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

17/05/2022
(आर.के. विजयवर्गीय)
मुख्य नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय भू–उपयोग
परिवर्तन समिति, राज. जयपुर।

कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर–302004
EPBX No. 2560838 , 2560963 Office e-mail : ctp-rj@nic.in
Fax No. 0141-2563702, 2560985 Website : http//udhrajasthan.gov.in

राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने/राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में नये पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में अतिरिक्त सूचना हेतु नवीन चैक लिस्ट–'स'

1.	**आवेदक/कम्पनी/संस्था/अन्य का नाम**	
2.	**आवेदित भूमि/भूखण्ड का विवरण**	
	a) राजस्व ग्राम/योजना का नाम	
	b) खसरा नम्बर/भूखण्ड सं./प्लॉट नम्बर	
	c) क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)/नाप	
	d) भूखण्ड का माप	
	e) भूमि का मास्टर प्लान/जोनल/सेक्टर/ले–आउट प्लान/ लीजडीड/पट्टे के अनुसार भू–उपयोग	
3.	**आवेदित भूमि हेतु पहुंचमार्ग बाबत् टिप्पणी।**	
4.	**आवेदित भूमि के 2 कि.मी. के दायरे में स्थित पेट्रोल पम्प की स्थिति**	
5.	**यदि आवेदित भूमि के 2 कि.मी. के दायरे में अन्य पेट्रोल पम्प स्थित है, तो उक्त के संबंध में –**	
	वरिष्ठ नगर नियोजक की टिप्पणी	
	संबंधित प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/परिषद् /पालिका के राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति के सदस्य की टिप्पणी।	
6.	**आवेदित भूमि के समीप स्थित हाईटेंशन लाईन/गैंस पाईप लाईन/आदि की स्थिति।**	
7.	**आवेदित भूमि के 100 मीटर के दायरे में स्थित ज्वलनशील भण्डारण की स्थिति।**	
8.	**पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा जारी LOI के संबंध में सूचना –**	
	a) जारी LOI में आवेदक का नाम	
	b) जारी LOI में खसरा नम्बर/प्लॉट नम्बर	
	c) यदि जारी LOI अन्य आवेदक के नाम से है, तो आवेदक व LOI धारक के मध्य का एग्रीमेन्ट।	(परिशिष्ट–'य')
9.	**मौका स्थिति**	
	आवेदित भूमि से 50–50 मीटर दूरी के क्षेत्र की स्थिति	
	उत्तर	
	दक्षिण	
	पूर्व	
	पश्चिम	
10.	**मौका स्थिति देखने की तिथि एवं फोटोप्रति**	परिशिष्ट–'अ'
11.	**मौका स्थिति के क्रम में आवेदित भूमि को दर्शाते हुए सर्वे की प्रति**	परिशिष्ट–'ब' (हाँ अथवा नहीं)
12.	**उपरोक्त टिप्पणी के क्रम में आवेदित भूमि के चारों ओर 50–50 मीटर के दायरे में (पेट्रोल पम्प भूमि पर प्रस्तावित वेन्ट पाइप, फिल पाइन्ट, डिस्पेसिंग यूनिट एवं स्टोरेज टैंक से) स्वतन्त्र आवास/आवासीय परिसर/आवासीय योजना/शैक्षणिक अथवा हॉस्पिटल (10 बेड्स से अधिक)/राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कोई नदी/तालाब/जलाशय/केनाल/खाला इत्यादि विद्यमान है अथवा नहीं।**	(हाँ / नही) यदि हाँ तो विस्तृत रिपोर्ट मय गूगल मैप पर अंकित किया जावे।
13.	**यदि आवेदित भूमि मास्टर प्लान के आवासीय/शैक्षणिक अथवा हॉस्पिटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित है, तो क्या आवेदक द्वारा प्रस्तावित प्रयोजन हेतु माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.01.2019 के तहत् प्रस्तावित भूमि पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प पर स्थापित वेन्ट पाइप, फिल पाइन्ट, डिस्पेसिंग यूनिट एवं स्टोरेज टैंक के चारों ओर 50–50 मीटर भूमि स्वयं/परिवार के नाम व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ) आरक्षित पट्टा रखने पर सहमत है अथवा नहीं।**	(हाँ / नही) यदि सहमत है, तो आवेदक द्वारा उक्त भूमि के नाम के दस्तावेज (परिशिष्ट–'स')
14.	**उपरोक्त मौका स्थिति अनुसार प्रश्नगत भूमि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.01.2019 के तहत् अनुज्ञेय किया जा सकता है अथवा नहीं।**	(हाँ / नहीं)
15.	**उपरोक्त रिपोर्ट अनुसार संबंधित प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/परिषद् /पालिका के सचिव/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी एवं संबंधित जोन के वरिष्ठ नगर नियोजक या उनके प्रतिनिधि आवेदित भूमि पर नये पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु सहमत है।**	(हाँ / नहीं)
16.	अन्य सूचना	

हस्ताक्षर (आवेदक)	**हस्ताक्षर** **(संबंधित सचिव/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी)**	**हस्ताक्षर** **(संबंधित जोन के वरिष्ठ नगर नियोजक)**